



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273308
CG-DL-E-10062026-273308

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948

No. 413]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

सं. 3/2026-सीमाशुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 460(अ).— सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 24 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उप-धारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2021-सीमाशुल्क (सीवीडी), दिनांक 24 सितंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 662 (अ), दिनांक 24 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी दिनांक 23 मार्च, 2027 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, तक लागू रहेगी।” ।

[फा. सं. 190354/185/2021-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रमुख अधिसूचना सं. 4/2021-सीमाशुल्क (सीवीडी), दिनांक 24 सितंबर, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 24 सितंबर, 2021 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

No. 3/2026-Customs (CVD)

G.S.R. 460(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 20 and 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 4/2021-Customs (CVD), dated the 24th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 662(E), dated the 24th September, 2021, namely:-

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the countervailing duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 23rd March, 2027, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. 190354/185/2021-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 4/2021-Customs (CVD) dated the 24th September, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 662(E), dated the 24th September, 2021.